संपादकीय

बरकरार फांसी

देश के चेतन-अवचेतन को ?उद्वेलित करने वाले दिल्ली के बहुचर्चित निर्भया कांड के अभियुक्तों की सज़ा बरकरार रख शीर्ष अदालत ने अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चेताया है। वहीं बेटियों को संदेश है कि वे निर्भय होकर चुनौतियों का सामना करें, कानून उनके साथ है। बहरहाल, यह सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि जिस घटना ने भारत के मर्म को आहत किया, जिसके बाद दुष्कर्मियों के लिये मौत की सज़ा का प्रावधान हुआ, उसमें अपराधियों को साढ़े पांच साल बाद भी सज़ा अमल में क्यों नहीं आ पायी है। यह? भी कि कानून सख्त होने के बावजूद ऐसी घटनाओं पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। ऐसी रिपोर्टें क्यों आ रही हैं कि भारत महिलाओं के लिये दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है? यह ठीक है कि न्याय प्रणाली की प्राथमिकता रही है कि न्यायिक प्रक्रिया में किसी निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश होने के नाते अपराधी भी उन तमाम प्रक्रियाओं व प्रावधानों का लाभ उठाते हैं, जो कि एक आम आदमी के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिये तय हैं। भारत न तो कट्टरपंथी सत्ताओं द्वारा संचालित है और न ही फासीवादी सोच की व्यवस्था पर आधारित जो तुरत-फुरत मृत्युदंड में विश्वास रखती हैं।

बहरहाल, 16 दिसंबर, 2012 की घटना के बाद भारत में बहुत कुछ बदला भी है। 29 दिसंबर को सिंगापुर के ?अस्पताल में निर्भया की मौत के बाद अभियुक्त पकड़े गये और एक नाबालिग की क्रूरता के बाद गंभीर मामलों में नाबालिगों को वयस्कों जैसी सज़ा देने की पुरजोर मांग पहली बार उठी। कालांतर यह बहस सिरे भी चढ़ी। कहा जा रहा है कि निर्भया कांड के बाद ऐसी क्रूरतम घटनाओं में वृद्धि हुई। इसका एक पक्ष यह भी है कि लोग अब ऐसे मामलों में खुलकर सामने आकर दोषियों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। पहले लड़की को दोषी बताकर चुप कराने की प्रवृत्ति थी। अब ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से समाज में प्रतिरोध के स्वर मुखर होने चाहिए। लड़कियों को मानसिक रूप से ऐसी चुनौतियों से मुकाबला करने के लिये तैयार किये जाने की जरूरत है। ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में अपराधियों को दी गई फांसी की सज़ा को सुप्रीमकोर्ट द्वारा बरकरार रखना इस बात का सबूत है कि जघन्य अपराधों के दोषी बख्शे नहीं जायेंगे। मामले में सज़ा सुनाते वक्त सुप्रीमकोर्ट ने कहा भी था कि इस गंभीर मामले में दोषियों को कड़ी सज़ा नहीं होगी तो फिर किस मामले में होगी। मगर एक हकीकत यह भी है कि न्याय में देरी कानून का डर समाप्त कर देती है।

पार्टी-परिवार के रिश्ते की पहेली

दशकों से परिवारवाद गैर कांग्रेसी दलों का कांग्रेस के विरुद्ध सबसे असरदार हथियार रहा है। समय-समय पर गैर कांग्रेसी दलों के तरकश में दूसरे मुद्दे भी तीर बन कर जगह पाते रहे हैं, लेकिन परिवारवाद उनका स्थायी हथियार बना रहा है। हालांकि कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक परिवारवाद देखा जा सकता है, लेकिन गैर कांग्रेसी दलों का असली निशाना उसका शीर्ष नेतृत्व यानी नेहरू परिवार ही रहा है। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मोदी-अमित शाह की जोड़ी और भाजपा का कांग्रेस के विरुद्ध यह ब्रह्मास्त्र ही बन गया है। हाल के वर्षों में युवराज और शहजादे सरीखे विशेषणों के जरिये इस हथियार को हरसंभव धार देने की कवायद लगातार जारी है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के लिए एक नया शब्द बेल-गाड़ी खोजा है। हालांकि कभी दो बैलों की जोड़ी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह रहा है, लेकिन इस नामकरण का उससे कुछ भी लेना-देना नहीं है। दरअसल यह शब्द भी मोदी ने कांग्रेस के परिवारवाद पर प्रहार के लिए बनाया है। वंशवाद की बेल से बेल लिया गया है तो कांग्रेस को उस बेल के सहारे चलने वाली गाड़ी करार दिया गया है। निश्चय ही लोकतंत्र के आंगन में वंशवाद की बेल के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दरअसल परिवारवाद की सोच लोकतंत्र की मूल भावना का ही अपमान है, लेकिन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की विडंबना देखिए कि वाम दलों को अपवाद मान लें तो ज्यादातर राजनीतिक दल इस मामले में कांग्रेस का और भी विद्रूप संस्करण नजर आते हैं। कई गैर कांग्रेसी दल तो परिवार विशेष की जागीर ही बनकर रह गये हैं। कटु सत्य यह भी है कि कांग्रेस के विरुद्ध परिवारवाद को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करने वाली भाजपा भी वंशवाद की इस बीमारी से अछूती नहीं है। बेशक मोदी-शाह का कोई परिजन भाजपा की राजनीति में नहीं है, लेकिन कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह से लेकर वसुंधरा राजे, प्रेम कुमार धूमल और दिवंगत प्रमोद महाजन व गोपीनाथ मुंडे तक उन भाजपा नेताओं की फेहरिस्त बहुत लंबी बन सकती है, जिनके परिजन पार्टी में परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या यह वंशवाद नहीं है? निश्चय ही यह भी वंशवाद ही है, जो कांग्रेस के वंशवाद जितना ही लोकतंत्र विरोधी और नुकसानदेह है, लेकिन परिवारवाद का एकमात्र यही रूप हमारे लोकतंत्र में नहीं है। स्थानीय निकायों-पंचायतों में परिवार का दूसरा ही रूप नजर आता है, जब निर्वाचित प्रतिनिधि पत्नी का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके पति उनकी भूमिका का निर्वाह करने लगते हैं। क्या यह लोकतंत्र का मखौल नहीं है?

दरअसल जब हम लोकतंत्र को महज शब्द तक सीमित कर उसका हरसंभव दुरुपयोग करना चाहते हैं तब ऐसी ही विकृतियां सामने आती हैं। महिलाओं की राजनीति में सक्रिय भागीदारी स्वागतयोग्य है। आधी आबादी की सक्रियता के बिना लोकतंत्र सार्थक हो ही नहीं सकता, लेकिन यह काम प्रतीकात्मक तौर पर नहीं किया जा सकता। बिना पर्याप्त जमीनी तैयारी के राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का परिणाम यह हुआ कि सक्रिय राजनेताओं ने अपनी पत्नियों-पुत्रियों को आगे कर दिया। महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होने पर पत्नी या पुत्री-पुत्रवधू और अनारक्षित होने पर खुद चुनाव लड़ना भी परिवारवाद का ही तो रूप है। पत्नी-पुत्री-पुत्रवधू के निर्वाचित होने पर भी भूमिका का निर्वाह खुद करना तो परिवारवाद के साथ-साथ लोकतंत्र का अपमान भी है, पर यह पूरे देश में लगातार हो रहा है, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं उठती। उठे भी कैसे, हर कोई शरीक-ए-जुर्म जो है। अभी तक हमने जिस राजनीतिक परिवारवाद की चर्चा की, वह दरअसल इस पूरे मुद्दे का एक पहलू भर है, जो निश्चय ही नकारात्मक भी है। मुद्दे का दूसरा पहलू भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मसलन, ऐसे अनगिनत उदाहरण मिल जायेंगे, जहां निर्वाचित सांसद-विधायक की पत्नियां-पुत्रियां खासकर निर्वाचन क्षेत्र में जन संपर्क में लगातार महत्वपूर्ण

भूमिकाएं निभाती रहती हैं। चंडीगढ़ का ही उदाहरण लें तो दो पूर्व सांसदों (पवन कुमार बंसल और हरमोहन धवन) की पत्नियां मधु बंसल और सतिंदर धवन न सिर्फ चुनाव प्रचार के दौरान, बल्कि उसके बाद भी उनकी प्रतिनिधि के रूप में लगातार निर्वाचन क्षेत्र में सक्रिय नजर आयीं। करनाल के वर्तमान सांसद अश्वनी चोपड़ा के बारे में भी यही धारणा है कि उनसे ज्यादा उनकी पत्नी किरण चोपड़ा निर्वाचन क्षेत्र में सक्रिय रहती हैं। प्रियंका गांधी लंबे समय से अपनी मां सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में सक्रिय रही ही हैं। जाहिर है, यह फेहरिस्त भी बहुत लंबी बन सकती है, पर बेहद स्वाभाविक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इसे किस श्रेणी में रखा जाये? राजनीतिक दल की संस्कृति के लिहाज से यह उचित भले ही न हो, लेकिन व्यावहारिक तो निश्चय ही है कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने परिजन पर ज्यादा विश्वास करे, और मतदाता भी किसी अन्य सांसद-प्रतिनिधि के बजाय निर्वाचित प्रतिनिधि के परिजन से मिलकर अपनी बात कह कर अधिक संतुष्ट महसूस करें।

इधर राजनीति में परिवार की सक्रियता का एक और रूप सामने आया है। अन्य राजनीतिक दलों के बारे में अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन केंद्र और देश के ज्यादातर राज्यों में सत्तारूढ़ भाजपा में तो यह व्यवस्थित रूप में है। भाजपा के सांसदों की पत्नियों ने मिलकर कमल सखी नामक समूह बनाया है। इस समूह की सक्रियता की ज्यादा चर्चा नहीं हुई, पर यह संसद के कमोबेश हर सत्र के दौरान किसी खास नीतिगत फैसले या सरकारी कार्यक्रम पर एक आयोजन अवश्य करता है, जिसमें संबंधित मंत्री भी आते हैं और बाकायदा वैसे ही प्रस्तुति देते हैं, जैसे मीडिया या जनता के समक्ष दी जाती है। इसी प्रस्तुति को आधार बनाकर अपवाद स्वरूप सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के प्रचार की कमान कमल सखी ने संभाल रखी है। बेशक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की पत्नी मल्लिका एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। वह खुद भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री रह चुकी हैं। उनकी तरह कुछ अन्य भाजपा सांसदों की पत्नियों की भी राजनीतिक पृष्ठभूमि हो सकती है, लेकिन सांसदों की पत्नियों की ऐसी व्यवस्थित राजनीतिक भूमिका राजनीति में परिवार की भूमिका का एक और रूप तो उजागर करती है। बेशक कमल सखी के समक्ष मंत्रियों की प्रस्तुति एक विवादास्पद मुद्दा बन सकती है, लेकिन अपने जीवन साथी के कर्मक्षेत्र में बिना किसी औपचारिक भूमिका के ऐसा सहयोग, जो अंततः राजनीतिक दल के लिए भी चुनावी लाभ सुनिश्चित कर सकता है, कैसे गलत ठहराया जा सकता है? अगर इसे विधायक स्तर तक भी अपना लिया जाये तो भाजपा के पास आधी आबादी तक पहुंच का एक प्रभावी माध्यम तैयार हो जायेगा। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि अगर ऐसी भूमिका के निर्वाह के बाद कोई सक्रिय संगठनात्मक या चुनावी राजनीति में आ जाये, तब भी क्या उसे परिवारवाद ही कहा जायेगा? कांग्रेस के विरोधी अक्सर उसे एक परिवार की पार्टी कह कर कटाक्ष करते रहे हैं, लेकिन यह नया प्रयोग बताता है कि भाजपा खुद अपनी पार्टी को परिवार की तरह बना रही है। ऐसे में परिवार में पार्टी है या पार्टी में परिवार, यह पहेली दिलचस्प भी है और जटिल भी।

साल 2019 की परीक्षा का पर्चा

स्वाभाविक है कि भाजपा 2019 में केंद्र की सता में बहुमत से वापसी की कोशिश करे, जैसे कि विरोधी दल उसे बेदखल करने के प्रयत्न में लग रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष काफी समय से चुनावी मोड में हैं.

अंदरखाने तैयारियां हैं ही, सरकारों के स्तर पर खुल्लम-खुल्ला लुभावनी चुनावी घोषणाएं होने लगी हैं. चर्चा यहां यह करनी है कि मोदी सरकार क्या उपलब्धियां लेकर जनता के पास जाना चाहती है और स्वयं जनता जनार्दन उसके लिए कैसा प्रश्नपत्र तैयार कर रही है?

साल 2014 में देश की जनता कांग्रेस नीत यूपीए शासन के भ्रष्टाचार से त्रस्त थी. वह बदलाव चाहती थी. भाजपा में तेजी से उभरे नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तृत्व, तेजी और ताजगी से भ्रष्टाचार मिटाकर, काला धन वापस लाने एवं चौतरफा परिवर्तन के वादों से जो लहर पैदा की, उसने भाजपा को विशाल बहुमत से सत्ता में ला बिठाया. आज जब वे चार साल पूरे कर चुकने के बाद पांचवें वर्ष में जनता की परीक्षा में बैठनेवाले हैं, तो पास होने की कसौटी क्या होगी?

सरकार के पास तो उपलब्धियां गिनाने के लिए हमेशा ही बहुत कुछ होता है. मोदी सरकार ने भी अपना चार साल का प्रभावशाली लेखा-जोखा पेश किया है, मगर पास-फेल करना जनता के हाथ में है.

आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार ने नोटबंदी जैसे दुस्साहसिक और जीएसटी जैसे साहसिक कदम उठाये. इनके नतीजों पर विवाद हैं. तमाम दावों के बावजूद अर्थव्यवस्था अच्छी हालत में नहीं है, विशेष रूप से वह हिस्सा, जो सीधे जनता को प्रभावित करता है. महंगाई लगातार बढ़ी है. पेट्रोल-डीजल के ऊंचे भावों ने उसे अनियंत्रित किया है. बैंकों पर डूबे हुए कर्ज का बोझ बढ़ा, किंतु प्रयासों के बावजूद वसूली के प्रयास सफल होते नहीं दिखे. बेरोजगारों की संख्या बढ़ने की तुलना में रोजगारों का सृजन अत्यंत सीमित हुआ. युवा वर्ग में आक्रोश है, जो तरह-तरह के असंतोषों में फूटा.

इस पूरे दौर में देश का किसान क्षुब्ध और आंदोलित रहा. बदहाली के कारण उनकी आत्महत्याओं का सिलसिला बिल्कुल नहीं रुका. हाल ही में खरीफ फसलों के समर्थन मूल्यों में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि की जो घोषणा की गयी है, उससे भी किसान समुदाय का बड़ा हिस्सा प्रसन्न नहीं लगता.

आरोपों के अलावा मोदी सरकार को भ्रष्टाचार के मामलों में क्लीन चिट हासिल है. यूपीए-2 सरकार के लिहाज से यह बड़ी राहत है, लेकिन आम जनता को रोजमर्रा के कामों में भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल गयी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है.

काले धन पर अंकुश नहीं लग सका. डिजिटल लेन-देन के मोर्चे पर भी शुरुआती उपलब्धि हाथ से फिसल गयी. नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने यह कहकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है कि 2014 के बाद देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से पीछे की ओर गयी है.

सामाजिक क्षेत्र में सरकार कुछ करती दिखायी दी, लेकिन वास्तव में परिवर्तन कितना आया? हाशिये पर जीनेवाली बड़ी आबादी के हालात कितना सुधरे? स्वच्छता अभियान और 2019 तक देश को खुले में शौच-मुक्त करने की महत्वाकांक्षी, सराहनीय योजना पर स्वयं प्रधानमंत्री ने बहुत रुचि ली, किंतु आंकड़ों से इतर व्यवहार में वह कितना उतर पायी?

दलितों के कल्याण के वास्ते घोषणाएं बहुत हुईं, लेकिन उन्हें सचमुच कितनी आजादी और सामर्थ्य मिली? महिलाओं के प्रति समाज और राजनीति के नजरिये एवं व्यवहार में कितना फर्क आया?

दैनंदिन जीवन में अनुभव करने के कारण जनता इन मुद्दों से सीधे जुड़ी रहती है. वह क्या महसूस करती है? यहां यह कहना जरूरी है कि देश की ये समस्याएं न आज की हैं, न इनके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है.

चूंकि स्वयं मोदी ने व्यक्तिगत रूप से भी इस बारे में जनता में बहुत ज्यादा उम्मीदें जगायीं, बढ़-चढ़कर दावे किये थे, इसलिए उनकी सरकार की जवाबदेही निश्चय ही बढ़ जाती है.

पिछले दिनों की चंद घटनाओं ने संकेत दिये हैं कि मोदी सरकार इन कसौटियों पर शायद असहज अनुभव कर रही है. प्रधानमंत्री का जोर आज भी परिवर्तन और विकास के मुद्दों पर है. उनकी लोकप्रियता अधिक कम नहीं हुई है, लेकिन उनके मंत्री और भाजपा नेता क्या कर रहे हैं? केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने चंद रोज पहले झारखंड में उन आठ लोगों को जमानत पर छूटने पर माला पहनाकर मिठाई खिलायी, जिन्हें अदालत ने गोरक्षा के नाम पर हत्याओं का दोषी पाया है.

उसी दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार के अपने निर्वाचन क्षेत्र में दंगा भड़काने के आरोप में जेल में बंद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के घर गये, उनके साथ हुए 'अन्याय' पर रोये और बिहार की अपनी ही सरकार को ही दोष देने लगे.

संपादक-चुनीलाल एस. भट्ट,
मुद्रक एवं प्रकाशक-मयुर सी. भट्ट, प्रकाशन स्थल-201, 202, 208 नंदन कोम्प्लेक्ष, मीठाखली, अहमदाबाद-6. मालिक-कल्याणी पब्लिकेशन प्रा.लि. द्वारा महादेव ऑफसेट, एच-47, रवि एस्टेट, रूस्तम मिल कम्पाउंड, दूधेश्वर, अहमदाबाद में छपवाकर प्रकाशित किया।
फोन-26568477, 26409779.
E : alpaviram1@yahoo.com

सहजीवन में गुजारे भत्ते का हक

'लिव इन रिलेशन' में रहने वाले वयस्क जोड़ों के मामले में प्रीवी काउंसिल से लेकर उच्चतम न्यायालय तक ने यह व्यवस्था दी है कि यदि कोई जोड़ा लंबे समय तक एक साथ रहता है और समाज उसे पति-पत्नी के रूप में मान्यता देता है तो इसे विवाहित जोड़ा माना जायेगा। अक्सर खबरें सुनने को मिलती हैं कि चार-पांच साल बगैर विवाह एक साथ रहने के बाद पुरुष पर उसकी महिला साथी ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। कुछ साल तक स्वेच्छा से एक साथ रहने के बाद इस तरह के आरोप के औचित्य पर बहस की जा सकती है।

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय के सामने एक बेहद रोचक मामला आया, जिसमें सहजीवन बिताने वाली महिला ने अपने पुरुष साथी से गुजारे भत्ते की मांग की। उसका दावा है कि उसके पुरुष साथी ने उससे शादी का वायदा किया था लेकिन बाद में वह मुकर गया। अब न्यायालय को यह फैसला करना है कि क्या सहजीवन बिताने वाले पुरुष को अपनी महिला साथी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया जा सकता है?

ऐसा करने से पहले न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर की पीठ ने अटार्नी जनरल से अनुरोध किया है कि वह इस मामले में मदद के लिये अतिरिक्त सालिसिटर जनरल को नियुक्त करें। न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से भी इसमें सहयोग करने का आग्रह किया है। हालांकि, लिव इन रिलेशन के मामलों में उच्चतम न्यायालय ने अनेक पहलुओं पर व्यवस्था दी है। ऐसा करते समय न्यायालय ने इसके लिये कुछ शर्तों पर खरा उतरना भी जरूरी किया है। इसमें पहली शर्त ऐसे जोड़े को समाज द्वारा एक-दूसरे का जीवन साथी स्वीकार करना, दूसरी, कानूनी दृष्टि से दोनों की उम्र विवाह करने वाली हो, तीसरी शर्त यह कि वे बिन ब्याहे जीवन गुजारने के बावजूद कानूनी तरीके से वैवाहिक जीवन व्यतीत करने की पात्रता रखते हों और चौथी शर्त यह कि वे स्वेच्छा से लंबे समय से पति-पत्नी के रूप में रह रहे हों। लिव इन रिलेशन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है कि बिन ब्याहे ही पति-पत्नी के रूप में लंबी अवधि तक एक साथ रहना और समाज में पति-पत्नी के रूप में ही खुद को पेश करना। न्यायालय की व्यवस्थाओं के अनुसार इस पैमाने पर खरा उतरने वाले जोड़ों से जन्म लेने वाली संतानों को न सिर्फ ऐसे व्यक्ति की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा बल्कि महिला को अपने जीवन साथी का निधन होने की स्थिति में उसकी भविष्य निधि और पेंशन सहित दूसरे कानूनी अधिकार भी मिल सकेंगे।

सहजीवन का मुद्दा, विशेषकर 2005 में महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून लागू होने के बाद से लगातार चर्चा में है। घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून के संदर्भ में न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति पिनाकी चन्द्र घोष की पीठ ने नवंबर, 2013 में अपने फैसले में कुछ दिशा निर्देश प्रतिपादित करते हुए स्पष्ट किया था कि सिर्फ यौन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये सहजीवन का मार्ग अपनाने वाला वैवाहिक जीवन के तहत मिलने वाले लाभ पाने का पात्र नहीं हो जाता। दूसरे शब्दों में किसी पुरुष के साथ बिन ब्याहे जीवन गुजारने वाली महिला यदि गुजारा भत्ता और दूसरे अधिकार चाहती है तो उसे कुछ बुनियादी जरूरतें पूरी करनी होंगी।

घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून के तहत राहत प्राप्त करने से जुड़े मसले पर न्यायालय की व्यवस्था है कि यदि कोई महिला यह जानते हुए कि उसका साथी पुरुष पहले से ही विवाहित है, उसके साथ सहजीवन अपनाती है तो उसे इस कानून के तहत कोई राहत नहीं मिल सकती। इससे पहले, अक्तूबर, 2010 में तत्कालीन न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू और न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर की पीठ ने एक फैसले में कहा था कि सहजीवन गुजारने वाले सारे मामले वैवाहिक स्वरूप के नहीं होते और ऐसे मामलों में महिला को गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। इस पीठ ने तो यहां तक कहा था कि सिर्फ सप्ताहांत या एक रात साथ में रहना 'घरेलू रिश्ता' नहीं बनायेगा। सहजीवन और बिन ब्याहे लंबे समय से जीवन व्यतीत कर रहे जोड़ों और इनसे जन्म लेने वाली संतानों के अधिकारों के संबंध में पहली बार 1927 में प्रीवी काउंसिल ने सुविचारित व्यवस्था दी थी। इसी व्यवस्था के आलोक में ही उच्चतम न्यायालय ने 1952 में गोकल चंद बनाम परवीन कुमार और फिर 1978 में बदरी प्रसाद के मामले में पति-पत्नी के रूप में सालों एक साथ गुजारने के तथ्य को महत्व दिया और माना कि कानूनी दृष्टि से ये विवाह था। दूसरी ओर, बंबई उच्च न्यायालय ने इस साल अप्रैल में ही एक फैसले में कहा है कि लंबे समय तक सहजीवन व्यतीत करने वाली महिला अपने पुरुष साथी से गुजारा भत्ता प्राप्त करने की हकदार है।

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई-निविदा सूचना

No. M/15/2018/All Dated : 11.07.2018

वरिष्ठ मण्डल यांत्रिक इंजीनियर (EnHM & Fr) अजमेर भारत के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु दिनांक 13.08.2018 को 15.00 बजे तक ई-निविदा (two packets system) आमंत्रित की जाती है। **(1) कार्य का नाम:** Mechanized Cleaning Contract of Ajmer Railway Station for 12 Months **(2) कार्य की अवधि :** 1 year **(3) बयाना राशि:** 2,48,110/- **(4) कार्य की अनुमानित लागत:** 1,96,21,046/- **(5) ई-प्रस्ताव का खुलना :** प्रस्ताव दिनांक 13.08.2018 को 15.30 बजे **(6) Web site particulars : www.ireps.gov.in** 776-DI/18

हमें /NWRailways पर फॉलो करें

उत्तर पश्चिम रेलवे **ई-निविदा सूचना**

सं: डब्ल्यू.ए./ई-टेण्डर/26/2018 दिनांक 10.07.2018

मण्डल रेल प्रबन्धक (निर्माण लेखा), उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से नीचे दिये गये कार्य के लिये दी गई तिथि को 15.00 बजे तक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। **(1) निविदा संख्या: 127/2018 कार्य का नाम:** आबूरोड-मावल के मध्य स्थित समपार फाटक संख्या 132 के स्थान पर बन रहे रोड ओवर ब्रिज के संबंध में 3 यूनिट टाईप-II क्वार्टर बनाने का कार्य। **अनुमानित लागत:** रुपये 41,96,539.71 **बयाना राशि:** रुपये 83,940/- **निविदा की अंतिम दिनांक :** 20.08.2018 **(2) निविदा संख्या: 128/2018 कार्य का नाम:** अजमेर मण्डल के मदार-पालनपुर खण्ड में खीमेल, भिनवालिया, हरिपुर और धारेश्वर स्टेशनों पर पैदल यात्री पुल के निर्माण का कार्य। **अनुमानित लागत:** रुपये 8,35,17,235.59 **बयाना राशि:** रुपये 5,67,590/- **निविदा की अंतिम दिनांक :** 20.08.2018 **(3) निविदा संख्या: 134/2018 कार्य का नाम:** अजमेर में स्थित विभिन्न रेलवे कॉलोनियों में ड्रेनेज सिस्टम के सुधारीकरण का कार्य। **अनुमानित लागत:** रुपये 42,90,342.11 **बयाना राशि:** रुपये 85,810/- **निविदा की अंतिम दिनांक :** 20.08.2018 **(4) निविदा संख्या: 136/2018 कार्य का नाम:** सहायक मण्डल इंजीनियर-आबूरोड उप मण्डल: जोन संख्या 19 (2018-19 व 2019-20)- सहायक मण्डल इंजीनियर, आबूरोड खण्ड में सभी सेवा भवनों व माउण्ट आबू स्थित ऑफिसर रेस्ट हाउस- पीचेज, हॉलीडे-होम, स्टाफ आवास में (डीजल शेड छोड़कर) सामान्य एवं सेनेटरी कार्यों की मरम्मत एवं रखरखाव सम्बन्धी सभी कार्यों के लिये। **अनुमानित लागत:** रुपये 2,59,65,813.50 **बयाना राशि:** रुपये 2,79,830/- **निविदा की अंतिम दिनांक :** 20.08.2018 **(5) निविदा संख्या: 137/2018 कार्य का नाम:** सहायक मण्डल इंजीनियर-आबूरोड उप मण्डल: जोन नं. 21 (2018-19 व 2019-20) - सहायक मण्डल इंजीनियर, आबूरोड के अधिकार क्षेत्र में यूटिलिटी, ट्रेक्टर ट्रॉली के साथ, जे.सी.बी., हाइड्रा किराये पर लेने का कार्य। **अनुमानित लागत:** रुपये 60,62,695.60 **बयाना राशि:** रुपये 1,21,260/- **निविदा की अंतिम दिनांक :** 21.08.2018 **(6) निविदा संख्या: 138/2018 कार्य का नाम:** सहायक मण्डल इंजीनियर-आबूरोड उप मण्डल: जोन नं. 22 (2018-19 व 2019-20) - सहायक मण्डल इंजीनियर, आबूरोड के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी वे-साईड स्टेशनों व समपार फाटकों पर पीने योग्य पानी की रोड टेंकरों द्वारा आपूर्ति करने का कार्य। **अनुमानित लागत:** रुपये 19,98,684.00 **बयाना राशि:** रुपये 39,980/- **निविदा की अंतिम दिनांक :** 21.08.2018 **(7) निविदा संख्या: 139/2018 कार्य का नाम:** सहायक मण्डल इंजीनियर-मारवाड़ जं. उप मण्डल: जोन नं. 15 (2018-19 व 2019-20) - सहायक मण्डल इंजीनियर, मारवाड़ जं. के अधिकार क्षेत्र में यूटिलिटी, ट्रेक्टर ट्रॉली के साथ, जे.सी.बी., हाइड्रा किराये पर लेने का कार्य। **अनुमानित लागत:** रुपये 60,62,695.60 **बयाना राशि:** रुपये 1,21,260/- **निविदा की अंतिम दिनांक :** 21.08.2018 **(8) निविदा संख्या: 140/2018 कार्य का नाम:** अजमेर स्थित उप मुख्य लेखा अधिकारी (यातायात लेखा) कार्यालय में सीलिंग की मरम्मत और अन्य विविध मरम्मत कार्यों को करने का कार्य। **अनुमानित लागत:** रुपये 40,24,239.09 **बयाना राशि:** रुपये 80,490/- **निविदा की अंतिम दिनांक :** 21.08.2018 **(9) निविदा संख्या: 141/2018 कार्य का नाम:** अजमेर -जोन नं. 2 (2018-19 एवं 2019-20) : वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (कार्य) उत्तर व दक्षिण- अजमेर के क्षेत्राधिकार में स्थित स्टाफ क्वार्टर्स एवं बंगलों (गुलाब बाड़ी, राजा साईकिल, पाल बीचला, सिगनल स्टाफ लाईन, अलवर गेट, आशागंज एवं हजारीबाग कॉलोनी) में सामान्य एवं सेनेटरी कार्यों की मरम्मत एवं रखरखाव सम्बन्धी सभी कार्यों के लिये। **अनुमानित लागत:** रुपये 1,99,99,989.84 **बयाना राशि:** रुपये 2,50,000/- **निविदा की अंतिम दिनांक :** 21.08.2018 उक्त ई-निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी रेलवे की वैबसाईट **www.ireps.gov.in** पर तथा मण्डल कार्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर के निविदा नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।

हमें /NWRailways पर फॉलो करें 777-DI/18